

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८५]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर २०, १९७२/अग्रहायण २९, १८९४

No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 1972/AGRAHAYANA 29, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th December 1972

SUBJECT.—*Import of 'Dates' [S. No. 21(b)/IV] from Iraq during September, 1972—
March, 1973 licensing period on annual basis—Grant of additional
licences.*

No. 186-ITC(PN)/72.—Attention is invited to paragraph 3 of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 166-ITC(PN)/72, dated 22nd November, 1972, in terms of which the last date for submission of applications for grant of additional licences was 11th December, 1972.

2. On a reconsideration it has been decided to entertain the applications upto 5th January, 1973, for grant of additional licences in terms of the aforesaid Public Notice.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1972

विषय.—वार्षिक आधार पर सितम्बर, 1972—मार्च, 1973 के दौरान ई तक से “खजूरी” [क्रम संख्या : 21 (बी०)/4] का आयात—अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान करना ।

संख्या 186 आई० डी० सी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना पंख्या 166-आई दी सी (पी एन)/72 दिनांक 22 नवम्बर, 1972 के पैरा 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र देने की अन्तिम तारीख 11 दिसम्बर, 1972 थी ।

2. पुनः विचार करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार 5 जनवरी, 1973 तक किया जाएगा ।

एम० एम० सेन,

मध्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।